न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 08/2018

अनवान : –

1. मंगतुराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 17/03/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान इस आशय का पेश किया है कि चक 20 आरडब्ल्यूडी ए व चक न0 20 आरडब्ल्यूडी व 18 आरडब्ल्यूडी व टोपरिया बारानी की भूमि का दिनांक 16.05.2011 को बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा मुताबिक बंटवारा चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 243/401 के किला न0 11, 17 ता 20 की 5 बीघा, प0न0 234/401 के किला न0 2, 9 की 2 बीघा चक न0 18 आरडब्ल्यूडी के प0न0 240/397 के किला न0 14 ता 17 की 4 बीघा 18 बिस्वा एवं टोपरिया बारानी की कुल 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में दक्षिण की 6 बीघा कुल 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई।

पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक टोपरिया बारानी की भूमि मंगतुराम द्वारा किला न0 17 मं 2 बिस्वा व प्रेमाराम व महेन्द्र सिंह द्वारा किला न0 25 में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा तीनों काश्तकारों द्वारा आने जाने के लिए बिना किसी शर्ते के दिया गया है तथा कोई पक्षकार किसी को आने जाने हेतु नही रोकेगा यह शर्त रखी गई। उक्त भूमि का कब्जे संबंधि तनाजात रहता था इसलिए प्रार्थी ने एक वाद व प्रार्थना पत्र बअनवानी मंगतुराम बनाम बृजलाल आदि अन्तर्गत धारा 212 आटीएक्ट पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की अप्रार्थीगण रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडीए के खाता स0 49/45 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता स0 27/29 की कुल 1.120 हैक्ट व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 53/113 की कुल 7.2860 हैक्ट व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 72/77 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व सींव को कायम रखने व एक दुसरे की नीव सीव में मदाखलत बैजा न करे का स्थगन पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 26.07.2018 [illegible] की चक 18 आरडब्ल्यूडी की 10 बिस्वा भूमि जो प्रार्थी की रबी फसल के [illegible] छोड़ी हुई थी तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में थी को मिस्मार कर उस पर अप्रार्थी[illegible] कब्जा में दखल कर[illegible] से जबरिया मोठ

काश्त कर दिये प्रार्थी के खेत में जाने वाले रास्ते को भी काश्त कर दिया जबकि उक्त भूमि किला न0 25 की थी जो प्रार्थी के कब्जा काश्त की थी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है तथा प्रार्थी के खेत में जाने वाले रास्ते को जबरिया बंद कर दिया गया है जो न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा की अवमानना के लिए अप्रार्थीगण को दोष सिद्ध किया जाकर उन्हें 3 तीन माह सख्त सिविल कारावास से दण्डित किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है प्रार्थी द्वारा अदालत के किसी आदेश की अवहेलना नही कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा के टोपरिया बारानी की भूमि मंगतुराम द्वारा किला न0 17 मं 2 बिस्वा व प्रेमाराम व महेन्द्र सिंह द्वारा किला न0 25 में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा तीनों काश्तकारों द्वारा आने जाने के लिए बिना किसी शर्ते के दिया गया है तथा कोई पक्षकार किसी को आने जाने हेतु नही रोकेगा यह शर्त रखी गई। उक्त भूमि का कब्जे संबंधि तनाजात रहता था इसलिए प्रार्थी ने एक वाद व प्रार्थना पत्र बअनवानी मंगतुराम बनाम बृजलाल आदि अन्तर्गत धारा 212 आटीएक्ट पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की अप्रार्थीगण रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडीए के खाता स0 49/45 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता स0 27/29 की कुल 1.120 हैक्ट व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 53/113 की कुल 7.2860 हैक्ट व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 72/77 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व सींव को कायम रखने व एक दुसरे की नीव सीव में मदाखलत बैजा न करे का स्थगन पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 26.07.2018 को प्रार्थी की चक 18 आरडब्ल्यूडी की 10 बिस्वा भूमि जो प्रार्थी की रबी फसल के लिए ट्रेक्टर से सवार कर छोड़ी हुई थी तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में थी को मिस्मार कर उस पर अप्रार्थीगण कब्जा में दखल कर उंटो से जबरिया मोठ काश्त कर दिये प्रार्थी के खेत में जाने वाले रास्ते को भी काश्त कर दिया जबकि उक्त भूमि किला न0 25 की थी जो प्रार्थी के कब्जा काश्त की थी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है तथा प्रार्थी के खेत में जाने वाले रास्ते को जबरिया बंद कर दिया गया है जो न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा की अवमानना के लिए अप्रार्थीगण को दोष सिद्ध किया जाकर उन्हें 3 तीन माह सख्त सिविल कारावास से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बहस में कथन किया की मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमे कोई ऐतराज नही है प्रार्थी द्वारा अदालत के किसी आदेश की अवहेलना नही कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि बाबत दिनांक 29.06.2018 व 12.10.2018 को स्थगन आदेश जारी किये गये है। दिनांक 29.06.2018 को जारी स्थगन आदेश में रास्ता संबंधि कोई आदेश पारित नही किया गया है जबकि दिनांक 12.10.2018 को जारी स्थगन आदेश रास्ता बाबत जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2018 को न्यायालय आदेश की अवहेलना की गई है का कथन किया गया है जबकि दिनांक 26.07.2018 को रास्ता बाबत कोई आदेश पारित नही किया गया था उपरोक्त विवेनानुसार अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया जाना प्रतीत नही होता है एवं अप्रार्थी को दण्डित किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) जाब्ता दीवान साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:38 IST
Reason: SelfAttested